न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
017/2022(रे.वि.) (GCMS 2022/51)	21.03.2022	05.07.2023

अनवान

1. देवीलाल पिता उदयलाल जाति दरोगा उम्र 70 वर्ष निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. मृतक प्रहलाद पिता उदयलाल दरोगा के बजाय :–
   - 2/1 संतोष बेवा प्रहलाद उम्र वयस्क निवासी गंगरार हाल मुकाम बिजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
   - 2/2 विष्णुसिंह पिता प्रहलाद उम्र वयस्क निवासी गंगरार हाल मुकाम बिजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
   - 2/3 चंदा कुंवर पुत्री प्रहलाद उम्र वयस्क निवासी गंगरार हाल मुकाम पिपलीया रावजी तहसील मनासा जिला नीमच (मध्य प्रदेश)।
3. कैलाशचन्द्र पिता उदयलाल जाति दरोगा सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीया

बनाम

1. भैरूलाल पिता पोखर के बजाय :–
   - 1/1 श्रीमती सुखी बेवा भैरूलाल दरोगा निवासी नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. श्रीमती कमला पत्नी बंशीलाल जाति दरोगा निवासी भटवाडा खुर्द तहसील गंगरार हाल निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी द्वारका प्रसाद रांदड (महाजन) उम्र वयस्क निवासी शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. द्वारका प्रसाद रांदड (महाजन) एण्ड सन्स उम्र वयस्क निवासी शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	दिनेश चन्द्र दायमा	प्रार्थी
	नरेश शर्मा	अप्रार्थी संख्या 3,4
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी संख्या 5,6

प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्रावली अन्यत्र न्यायालय में अंतरित किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा 24 जा0दी0 संदर्भित प्रकरण संख्या 040/2013 (रे.वा.) न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी बअनवान देवीलाल बनाम भैरूलाल वगैराह

–:: निर्णय ::–

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान का वादपत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी के न्यायालय में जैर कार्यवाही होकर बहस प्रार्थनापत्र में नियत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र में पत्रावली वर्ष 1997 से लंबित होते हुए भी मूल वादपत्र में तनकियात कायमी एवं साक्ष्य तलबी आदि कार्यवाही को अंजाम नही देकर केवल प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी के आवेदन पत्र पर ही बहस सुनकर प्रकरण का निस्तारण कराने पर आमादा है। इस हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष रूचि लेकर प्रशासन गांवों के संग 2021 के अभियान के मध्य केवल इसी पत्रावली को सुनवाई हेतु नियत कर पक्षकारान को अनावश्यक रूप से परेशान किया। साथ ही विपक्षीगण के पुत्र एवं उनके अधिवक्ता प्रत्येक पेशी पर पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में बैठकर गुप्तगू करते है, पीठासीन अधिकारी ने भी प्रार्थना–पत्र का निर्णय प्रार्थीगण के खिलाफ निर्णित करने का पूर्ण मानस बना रखा है जिसकी तस्दीक विपक्षीगण के पुत्रों द्वारा न्यायालय परिसर में अन्य कर्मचारियों से कहते रहते है कि एसडीओ साहब नीता वसीटा जी से हमारी बात हो गयी है, इसलिए आवेदन पत्र का निर्णय तो हमारे पक्ष में ही किया जावेगा। इसलिए प्रार्थीगण को यह पूर्णतया आभास हो गया है कि प्रार्थीगण के साथ न्यायोचित निर्णय नही हो सकेगा इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली संख्या 40/2013 को अन्यत्र न्यायालय में अंतरित कराने हेतु आवश्यक होने से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश संचिका दिनांक 08.05.2019 में मृतक प्रहलाद वादी संख्या 2 के उत्तराधिकारियों को आदेश 1 नियम 10 (2) जा. दी. में प्रार्थीगण के रूप में संयोजित कर रखा है जिसमें 2/3 के स्थान पर चंदा पुत्री प्रहलाद को पक्षकार संयोजित किया है, जबकि सहवन से संशोधित टाईटल 2/3 के स्थान पर कैलाश पिता प्रहलाद गलत अंकन हो गया है जिससे प्रार्थनापत्र में संशोधित अनवान में अंकित कैलाश पिता प्रहलाद के स्थान पर चंदा देवी पुत्री प्रहलाद को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र संख्या 40/2013 (रे.वा.) को न्यायालय में अंतरित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं प्रकरण में अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त किये जाने हेतु लिखा गया। दिनांक 20.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 3, 4 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा पत्रांक/सरिश्ता 5–12/396 दिनांक 12.04.2022 से टिप्पणी प्राप्त हुई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण संख्या 040/2013 (रेवेन्यू वाद) अनवानी देवीलाल वगैराह बनाम भैरूलाल वगैराह न्यायालय में विचाराधीन है, इसके साथ ही प्रकरण संख्या 039/2013 (रेवेन्यू वाद) प्रकरण संख्या 024/2013 (राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रा0प0) एवं प्रकरण संख्या 063/2013 (विविध प्रा0प0) उक्त चारो प्रकरण मौजा गंगरार एवं एक ही आराजीयात के होकर न्यायालय में जैरकार है। वर्ष 2013 में श्रीमान् के आदेशानुसार पत्रांक/सरिश्ता/ रे0वि0 003/2013/164 दिनांक 05.02.2023 से उपखण्ड कार्यालय गंगरार से उपखण्ड कार्यालय राशमी को प्राप्त हुई है जिसका अंकन फर्द अहकाम पर अंकित है। प्रकरण संख्या 040/2013 के साथ प्रकरण संख्या 039/2013, 024/2013 एवं 063/2013 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाते है तो न्यायोचित रहेगा। उक्त टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 12.04.2023 को प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 05.07.2023 को अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 4 हाजिर आये। राजकीय अधिवक्ता हाजिर। हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस प्रार्थना पत्र का निवेदन किया गया। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 को उभयपक्ष सुना गया। अपनी बहस प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 को स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1/1 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 समाप्त की।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने आदेशिका दिनांक 14.12.2022 का अवलोकन कराया एवं निवेदन किया अप्रार्थी संख्या 1/1 की मृत्यु की सूचना अधिवक्ता प्रार्थी को दिये जाने के उपरांत भी प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 का दिनांक 12.04.2023 को प्रस्तुत किया गया है जो कि विधि द्वारा प्रावधित समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थना पत्र की प्रस्तुती में होने वाले विलम्ब के संबंध में किसी भी प्रकार का कथन नहीं किया गया है एवं विलम्ब क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र बाबत् मियाद भी प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल इस तकनीकी आधार पर ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 में विपक्षी संख्या 1/1 की मृत्यु की जानकारी तामील रिपोर्ट से जाना अवगत कराया है एवं प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में विपक्षी संख्या 1/1 प्रार्थीगण के पारिवारिक सदस्य रही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 1/1 की मृत्यु की जानकारी निश्चित तौर पर रही है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में न्यायालय में किसी भी प्रकार कथन नहीं कर न्यायालय को गुमराह किये जाने चेष्टा की गई है। इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 में इस तथ्य को अंकित किया गया है कि विपक्षी संख्या 1/1 की वारिस विपक्षी संख्या 2 कमला पत्नी बंशीलाल दरोगा है एवं पूर्व में ही पक्षकार संयोजित है जिससे विपक्षी संख्या 1/1 का नाम विलोपित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया जावें। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1/1 की वारिस विपक्षी संख्या 2 किस प्रकार से इस तथ्य बाबत् कोई कथन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त तकनीकी आधार एवं कारणों से ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 खारीज किये जाने योग्य है, किन्तु प्रार्थीगण को मात्र तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है तो प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 के निर्णय का प्रभाव मूल वाद संख्या 040/2013 पर पडेगा जिससे प्रार्थीगण प्रकरण में अनवाश्यक और विलम्ब किये जाने का निश्चित तौर पर प्रयास करेगें, जिससे अप्रार्थीगण को न्याय मिलने में और अधिक विलम्ब होगा। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का निस्तारण गुणावगुण की किया जावें। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का गहनता पूर्वक चिंतन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण संख्या 040/2023 की प्रमाणित आदेशिका का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी की आदेशिका दिनांक 29.05.2013 से मूल वाद में विपक्षी संख्या 2 कमला पत्नी बंशीलाल (इस प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी संख्या 2) के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई है एवं आदेशिका दिनांक 12.06.2013 से मूल वाद के विपक्षी संख्या 1/1 सुखीबाई बैवा भैरूलाल की उपस्थिति में जवाबदावा बंद किया गया है, उक्त दिनांक के पश्चात् विपक्षी संख्या 1/1 सुखीबाई बेवा भैरूलाल का आदेशिका दिनांक 27.01.2022 तक किसी भी प्रकार से कोई उपस्थिति/हाजिरी बाबत् अंकन नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि विपक्षी संख्या 1/1 की मृत्यु कब हुई है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 1/1 की मृत्यु दिनांक का अंकन नहीं किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 के निर्णय किये जाने से मूल वाद में पक्षकरान के हित प्रभावित होंगे, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 के निर्णय को रिजर्व किया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 के निर्णय को रिजर्व किया जाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के संबंध में आदेश दिया जाता है।

इस पर हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 4 प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस प्रार्थना पत्र करना चाहते है। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र वर्ष 1997 से लंबित होते हुए भी मूल वादपत्र में तनकियात कायमी एवं साक्ष्य तलबी आदि कार्यवाही को अंजाम नही देकर केवल प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी के आवेदन पत्र पर ही बहस सुनकर प्रकरण का निस्तारण कराने पर आमादा है। इस हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष रूचि लेकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रशासन गांवों के संग 2021 के अभियान के मध्य केवल इसी पत्रावली को सुनवाई हेतु नियत कर पक्षकारान को अनावश्यक रूप से परेशान किया। साथ ही विपक्षीगण के पुत्र एवं उनके अधिवक्ता प्रत्येक पेशी पर पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में बैठकर गुप्तगू करते है, पीठासीन अधिकारी ने भी प्रार्थना–पत्र का निर्णय प्रार्थीगण के खिलाफ निर्णित करने का पूर्ण मानस बना रखा है जिसकी तस्दीक विपक्षीगण के पुत्रों द्वारा न्यायालय परिसर में अन्य कर्मचारियों से कहते रहते है कि एसडीओ साहब नीता वसीटा जी से हमारी बात हो गयी है, इसलिए आवेदन पत्र का निर्णय तो हमारे पक्ष में ही किया जावेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 4 ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी के प्रकरण संख्या 040/2013 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन कराते हुए बताया कि वादीगण की और से वादपत्र सर्वप्रथम न्यायालय सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़ में दिनांक 05.11.1994 पंजीकृत किया गया है जिसे दिनांक 02.08.2000 को स्वीकार किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 026/2001 दिनांक 18.02.2005 से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी गंगरार को सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 02.08.2000 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया जिसे न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार ने दिनांक 26.04.2007 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई हेतु रखा गया। इसके पश्चात् दिनांक 03.06.2010 को वादीगण का वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया गया जिसे दिनांक 31.10.2012 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 14.02.2013 को न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 29.01.2013 से प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी को अंतरित किया गया, तत्पश्चात् दिनांक 19.03.2023 को वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी में पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 19.06.2013 के तक से आज दिनांक तक प्रकरण तनकीयात कायमी में ही लम्बित रहा है। प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई प्रभावी कार्यवाही/सुनवाई संपादित नहीं हुई है। प्रकरण केवल मात्र तनकीयात कायमी में लगभग 10 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है एवं प्रकरण में अनावश्यक प्रार्थना पत्र वादीगण की और से प्रस्तुत किये जाकर मूल वाद के निर्णय में देरी के प्रयास रत है। न्यायालय सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 02.08.2000 से पूर्व आराजीयात जैरबहस अप्रार्थी संख्या 3, 4 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अभिलिखित रही है, तत्पश्चात् न्यायालय सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़ के निर्णय की पालना में आराजीयात जैरबहस प्रार्थीगण/वादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई है, एवं वर्तमान समय में अप्रार्थीगण की खरीदशुदा एवं कब्जेशुदा आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में वादीगण/प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। केवल मात्र इसी कारण से प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा मूल वाद का निस्तारण नहीं होने दिया जा रहा है एवं प्रार्थीगण द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किये जाने के लगातार प्रयास किये जा रहे। इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र उठाये गये तथ्यों के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मात्र काल्पनिक एवं आधारहीन एवं गलत होकर अस्वीकार योग्य है। केवल मात्र प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रकरण निस्तारण में विलम्ब हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्यों एवं आधार मूल वाद संख्या 040/2013 की आदेशिका के अवलोकन किये जाने मात्र से असत्य प्रकट होते है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार प्रकरण में कोई जल्दबाजी किये जाने का प्रयास नहीं किया गया है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 3, 4 की न्याय के सिद्धान्तो में पूर्ण आस्था है जिससे अप्रार्थी संख्या 3, 4 को न्यायालय से पूर्ण न्याय प्राप्त होने की आशा है। इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने मुंतकिल प्रार्थना पत्र में इसी आराजीयात के इसी न्यायालय में लम्बित दीगर प्रकरणों के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई कथन नहीं किया है जो कि प्रार्थीगण की दुर्भावनाओं को व्यक्त करता है, अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र बाबत् मूल वाद को मुंतकिल किये जाने का सारहीन होने से खारीज किया जावें, इसके साथ ही विकल्प में निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान् वाद को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने का आदेश प्रदान करता है तो न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी में उक्त आराजीयात के संबंध में लंबित मूल वाद प्रकरण संख्या 040/2013 के साथ अन्य लम्बित समस्त प्रकरणों यथा प्रकरण संख्या 039/2013, 024/2013 एवं 063/2013 की दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने का आदेश प्रदान करावें जिससे प्रकरणों में न्याय की समरूपता रहे। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 4 ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। हाजिर राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा किसी भी प्रकार से कोई पक्षपात किये बिना विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है, एवं प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने की ईश्तदुआ की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण को यह पूर्णतया आभास हो गया है कि प्रार्थीगण के साथ न्यायोचित निर्णय नही हो सकेगा इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली संख्या 40/2013 को अन्यत्र न्यायालय में अंतरित किये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य तथ्य यह उठाया गया है पीठासीन अधिकारी द्वारा मूल वादपत्र में तनकियात कायमी एवं साक्ष्य तलबी आदि कार्यवाही को अंजाम नही देकर केवल प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी के आवेदन पत्र पर ही बहस सुनकर प्रकरण का निस्तारण कराने पर आमादा है। इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि प्रकरण में विभिन्न प्रार्थना पत्र पक्षकारान द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते है जिनका नियमानुसार निस्तारण न्यायालय द्वारा किये जाने बाबत् विधि के आज्ञापक प्रावधान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रावधित है। इसके साथ ही पत्रावली पर प्रस्तुत मूल वाद की आदेशिकाओं के अवलोकन से पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई विशेष रूचि होना परिलक्षित नहीं होती है। इसके साथ ही उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा प्रेषित टिप्पणी में उक्त वाद पत्र एवं इसी आराजीयात के अन्य वादपत्रों को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं होना जाहिर किया गया है। जहां तक प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में बैठकर गुप्तगू करने एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र का निर्णय प्रार्थीगण के खिलाफ निर्णित करने का पूर्ण मानस का प्रश्न उठाया गया है। यह तथ्य ठोस साक्ष्य का मोहताज है, एवं पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से उठाये गये तथ्यों की पुष्ठि नहीं होती है। इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं उठाया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने की आवश्यकता महसूस होती है, बल्कि प्रकरणों को स्थानान्तरण करने से उसकी वरियता समाप्त होकर प्रकरण में निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब ही होगा, जबकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के विवाद को लगभग 30 वर्ष व्यतीत हो चुके है। इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सुमचित प्रत्युत्तर कर न्यायालय से न्याय की गुहार कर सकते है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने बाबत् आवेदन इस न्यायालय प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है जिस से प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जबकि इस मूल वाद को यह न्यायालय एक बार निर्णय दिनांक 29.01.2013 से न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार से न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी पूर्व में कर चुका है, जिये दुबारा से करना उचित नहीं है, ऐसी स्थिति प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र गुणावगुण पर बलहीन होकर चलने योग्य नहीं होने से खारीज किये जाने योग्य है।

इस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 का निर्णय रिजर्व किया गया है एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में बलहीन होकर सारहीन होना पाया गया है, इसके साथ ही इस न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 12.04.2023 पर निर्णय किये जाने से मूल वाद की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है जिससे उभयपक्षकारान के हित मूल वाद में प्रभावित हो सकते है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 12.04.2023 का निर्णय मूल वाद संख्या 040/2013 अनवानी देवीलाल वगैराह बनाम भैरूलाल वगैराह में ही किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 प्रार्थन पत्र प्रस्तुत दिनांक 12.04.2023 विधि अनुसार निर्णय किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी को अंतरित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 जा0दी0 प्रार्थना पत्र बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी के प्रकरण संख्या 040/2013 अनवानी देवीलाल वगैराह बनाम भैरूलाल वगैराह को दीगर न्यायालय में मुंतकिल/स्थान्तरित हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बलहीन एवं सारहीन होने से खारीज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी को इस न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 12.04.2023 बाबत् मृतक सुखीबाई बेवा भैरूलाल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने को अंतरित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुमचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते प्रकरण में नियमानुसार विधि–सम्मत् गुणावगुण पर निर्णय किया जावें, (उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 3, 4 द्वारा इस न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं करने से पुनः जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकते है) एवं लम्बित प्रकरणों में विधि अनुसार सुमचित सुनवाई जाकर 06 माह की अवधि में निर्णित किये जाने के प्रयास किये जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी को मय मूल प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 12.04.2023 के पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.07.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official